न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 57/2018

अपीलांट

1. जीवाराम पुत्र श्री वगताजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. नारणाराम पुत्र श्री वगताजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
3. शांतिलाल पुत्र श्री वगताजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
4. केउदेवी पत्नी वगताजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
5. कालु पुत्र रामजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
6. नानजी पुत्र भगा जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवड तहसील रेवदर जिला सिरोही
7. काली पुत्री भगा जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
8. दोनु पुत्री भगा जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
9. रोमजी पुत्र धर्माजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
10. गणेशराम पुत्र नगाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
11. करमीराम पुत्र नगाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
12. अशोक कुमार पुत्र आहाराम जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
13. अम्बादेवी पत्नी आहाराम जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
14. बाबूलाल पुत्र आहाराम जाति कलबी आयु नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता अम्बादेवी पत्नी आहाराम निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
15. संगीता कुमार पुत्री आहाराम जाति कलबी आयु नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता अम्बादेवी पत्नी आहाराम निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

16. मोती पुत्र लकमाजी जाति कलबी आयु वयस्क, निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
17. भूरा पुत्र लकमाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
18. मालू पत्नी लकमाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
19. मेना पुत्र डुंगराजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
20. जोधा पुत्र डुंगराजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
21. सोमा पुत्र वेलाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
22. डुंगरा पुत्र रामाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
23. रेसुंग पुत्र रामाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
24. सवा पुत्र खंगारजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
25. अमरा पुत्र अजबा जी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
26. भला पुत्र अजबाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
27. जोमा पुत्र जगा जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर, जिला सिरोही
28. गोवा पुत्र जगाजी जाति कलबी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. देवा पुत्र फगलूजी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. दाना पुत्र फगलुजी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी मोरवडा तहसील रेवदर जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री उमाराम रेबारी विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी ... सिरोही

दिनांक 09.09.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक जिलाधीश रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 31/2013 बउनवान देवाराम बनाम जीवाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा मोरवडा तहसील रेवदर के खसरा नंबर 241 में आवागमन हेतु अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्टगण के खेत में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व से ही खसरा संख्या 301 के पश्चिमी दिशा में स्थिति खसरे में उपलब्ध है। एवं रेस्पोडेन्टगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 241 में आते जाते रहे है। मौके पर कदीमी रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति की जोत में आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उसे चले रहे रास्ते से उसकी जोत में जाने के लिये जहां से निकटतक दूरी हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

उसी जगह से रास्ता दिलया जा सकता है। किन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 301 के पूर्वी दिशा से रेस्पोडेन्टगण को आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किया है। जो कानूनन गलत है। खसरा संख्या 241 में जाने के लिये गांव मोरवडा से पिथापुरा जाने वाले मार्ग से खसरा संख्या 301 के पश्चिमी छोर के लगते खसरे से निकटतम व लघुतम दूरी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 301 के पूर्वी छोर में अपीलांट संख्या 10 ता 15 के रहवासी मकान एवं पशुओं के टीनशेड मौके पर बने हुए है। जहां से रेस्पोडेन्टगण को रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। पटवारी पिथापुरा व गिरदावर मण्डार दिनांक 28.06.2018 को वादग्रस्त खसरा का मौका मुआयना करने के लिये मौके पर न तो आये एवं न ही कोई मौका फर्द बनाई। एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका फर्द पर न तो अपीलांटगण के हस्ताक्षर है एवं न ही हस्ताक्षर करने से मना करने बाबत कोई टिप्पणी नहीं है। रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना में खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा से रास्ते का अनुतोष चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष से विपरित जाकर रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पश्चिमी भाग से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में खसरा संख्या 301 के पूर्वी दिशा से रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मंशा के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट्स अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 301 के पश्चिमी दिशा में स्थित खसरे में से होकर अन्दर से कदीमी रूप से उपयोग करते है, चूंकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में नये मार्ग का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया मार्ग प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा मोरवडा तहसील रेवदर के खसरा नंबर 241 में आवागमन हेतु अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी के संबध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

उपतहसीलदार मंडार से वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 में प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 241 में जाने हेतु रेकर्ड में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण के खेत में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पूर्वी दिशा की सीमा से लगता हुआ प्रार्थी के खेत तक दिया जाने वाला रास्ता ही नजदीक से नजदीक है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प प्रार्थी के खातेदारी में आने का नहीं होना अंकन है। रेस्पोडेन्टगण के खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। एवं जहां तक रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता पश्चिमी दिशा से दिया जाना का अनुतोष का प्रश्न है तो वह एक मानवीय त्रुटि है। किन्तु वादग्रस्त आराजी पर मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडन्टगण की खातेदारी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पूर्वी दिशा से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा मोरवडा तहसील रेवदर के खसरा नंबर 241 में आवागमन हेतु अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पश्चिमी भाग से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपतहसील मंडार द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर प्रथम मौका फर्द दिनांक 29.04.2016 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा नंबर 241 के आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने एवं खसरा नंबर 301 के पश्चिमी माट पर आम रास्ते से कुछ भाग पर मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पावों कैम्प-सिरोही

रास्ता मौजूद होने का अंकन है। उसके पश्चात मौका फर्द दिनांक 10.07.2017 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा नंबर 241 के आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पश्चिमी भाग यानि बिन्दू A से B सबसे नजदीक रास्ता होना अंकन किया है। उसके पश्चात मौका फर्द दिनांक 28.06.2018 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी खसरा नंबर 241 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पूर्वी दिशा की सीमा से लगता हुआ रास्ता नजदीक से नजदीक होना का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त खसरे के संबध में तीन रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त तीनो रिपोर्ट में सर्वप्रथम रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 241 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पश्चिमी माट से कदीमी रास्ता होने का अंकन है। एवं अन्य दो रिपोर्ट में खसरा नंबर 301 के पूर्वी माट से नजदीक रास्ता होने का अंकन हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त समस्त मौका रिपोर्ट में भारी विरोधाभाष है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 व 28.06.2016 पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने भी अपनी खातेदारी खेत में आने जाने हेतु खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा में से रास्ता होने का अंकन करते हुए रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश द्वारा खसरा नंबर 301 के पूर्वी दिशा से रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया। जबकि अपीलांटगण ने अपने जवाब में खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा से कदीमी रास्ता होने का कथन किया है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण ने अपने जवाब में खसरा नंबर 301 के पश्चिमी दिशा से कदीमी रास्ता होने का कथन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की विधिवत जांच कराये विरोधाभाषी मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष से परे जाकर, 251 ए के प्रावधानो की जांच कराये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक जिलाधीश रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 31/2013 बउनवान देवाराम बनाम जीवाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में मौके की व्यक्तिशः जांच कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए ("absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved") के प्रावधानो का ध्यान में रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी केम्प-सिरोही

निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही